



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001

फाइल सं०

- रोकड I

दिनांक , 2013

कार्यालय - आदेश

जीपीएफ नियम 12(1) ए के तहत सक्षम प्राधिकारी ने श्री/ श्रीमती -----
----- भा.कृ.अनु.प. को उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या..... /मुख्यालय
से जीपीएफ अग्रिम हेतु रू० ----- (रूपयेमात्र) की स्वीकृति,-----
----- के व्यय हेतु प्रदान की है ।

इसके पूर्व उनको -----माह में स्वीकृत की गई अग्रिम राशि में से
रू०.....(रूपए केवल) आज की तिथि तक बकाया है। उक्त बकाए सहित अब स्वीकृत
अग्रिम की कुल राशि रू० (रूपये) की प्रत्येक किश्त रू०..... की
किश्तों में वसूली की जाएगी । पहली किश्त की वापसी उनकेमहीने के वेतन,
से प्रारंभ हो जाएगी ।

आहरण और संवितरण अधिकारी

प्रतिलिपि -

1. श्री/श्रीमती भा.कृ.अनु.प. नई दिल्ली
2. ऑडिट III अनुभाग, भा.कृ.अनु.प. को आवश्यक बिलों के साथ
3. ऑडिट II अनुभाग, भा.कृ.अनु.प.
4. कैश II अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु
5. गार्ड फाइल.

आहरण और संवितरण अधिकारी

बिल संख्या जीपीएफ/ 2013-14 कैश –I



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001

फाइल सं०

- रोकड I

दिनांक , 2013

बिल

जीपीएफ अग्रिम हेतु जीपीएफ नियम 12(1) ए के तहत सक्षम प्राधिकारी ने श्री/ श्रीमती
----- भा.कृ.अनु.प. को उनके जी.पी.एफ. खाता
संख्या..... /मुख्यालय से जीपीएफ अग्रिम हेतु रू० ----- (रूपये
.....मात्र) की स्वीकृति,----- के व्यय हेतु प्रदान की है ।

इसके पूर्व उनको -----माह में स्वीकृत की गई अग्रिम राशि में से
रू०.....(रूपए केवल) आज की तिथि तक बकाया है। उक्त बकाए सहित अब स्वीकृत
अग्रिम की कुल राशि रू० (रूपये) की प्रत्येक किश्त रू०..... की 36
किश्तों में वसूली की जाएगी । पहली किश्त की वापसी उनकेमहीने के वेतन,
से प्रारंभ हो जाएगी ।

रू० (रूपए) की राशि
आहरित कर श्री/श्रीमती..... को भुगतान करें ।

अनुभाग अधिकारी
कैश I अनुभाग, भा.कृ.अनु.प.

रू० (रूपए) हेतु पास किया
जाता है ।

आहरण और संवितरण अधिकारी



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001

फाइल सं०

- रोकड I

दिनांक , 2013

कार्यालय - आदेश

जीपीएफ नियम 12(1) ए के तहत सक्षम प्राधिकारी ने श्री/ श्रीमती -----
----- भा.कृ.अनु.प. को उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या.....
/मुख्यालय से कार्य हेतु जीपीएफ अग्रिम हेतु रू० --
----- (रूपयेमात्र) की स्वीकृति की सूचना दी जाती है ।

इसके पूर्व उनको -----माह में स्वीकृत की गई अग्रिम राशि में से
रू०.....(रुपए केवल) आज की तिथि तक बकाया है। उक्त बकाए सहित अब स्वीकृत
अग्रिम की कुल राशि रू० (रुपये) की प्रत्येक किश्त रू०..... की
किश्तों में वसूली की जाएगी । पहली किश्त की वापसी उनकेमहीने के वेतन,
से प्रारंभ हो जाएगी ।

आहरण और संवितरण अधिकारी

प्रतिलिपि -

1. श्री/श्रीमती भा.कृ.अनु.प. नई दिल्ली
2. ऑडिट III अनुभाग, भा.कृ.अनु.प. को आवश्यक बिलों के साथ
3. ऑडिट II अनुभाग, भा.कृ.अनु.प.
4. कैश II अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु
5. गार्ड फाइल

आहरण और संवितरण अधिकारी

Bill No GPF/2005-06/Cash –I

**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISH BHAWAN :: NEW DELHI – 110 001.**

F. No.4(8)/2003-Cash I

Dated the April, 2005

BILL

Sanction of Competent Authority is hereby conveyed under GPF Rule 12 (1)A for the grant of GPF advance of Rs.10,100 (Rupees ten thousand and one hundred only) to Smt. Sunita, Steno- Gr. III, ICAR from her G.P. F. account No.3385/Hq. to enable her to meet the expenses in connection with the mundane of her son.

A sum of Rs. 78100/- (Rs. Seventy Eight thousand and One hundred only) out of advance. 90,032/- sanctioned to her during the month of May, 2005 has not been recovered as on date. This amount together with the advance now sanctioned aggregating Rs.1,27,800/- (Rupees one lakh twenty seven thousand d and eight hyndred only) will be recovered in 36 instalments of Rs.2450/- each. The first installment will be recovered from her pay for the month of May, 2005.

A sum of Rs.10,100 (Rupees ten thousand and one hundred only) may now be drawn and paid to Smt. Sunita, Steno-Gr.III, ICAR.

**Section Officer
Cash I Section, ICAR**

Passed for Rs. Rs.10,100 (Rupees ten thousand and one hundred only)

Drawing & Disbursing Officer



**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISH BHAWAN :: NEW DELHI – 110 001.**

F. No. -Cash I

Dated the April, 2005

Office Order

Sanction of Competent Authority is hereby conveyed under GPF Rule 12 (1)A for the grant of GPF advance of Rs. (Rupees only) to Smt. , ICAR from her G.P.F. account No. /Hq. to enable her to meet the expenses in connection with the -----

A sum of Rs. /- (Rs. only) out of advance. /- sanctioned to her during the month of ----- has not been recovered as on date. This amount together with the advance now sanctioned aggregating Rs. /- (Rs. only) will be recovered in 36 instalments of Rs. /- each. The first installment will be recovered from her pay for the month of May, 2005.

Drawing & Disbursing Officer

Copy to:-

1. Smt. , ICAR.
2. Audit III Section, ICAR. alongwith Bills
3. Audit II Section, ICAR.
4. Cash II Section for necessary action
5. Guard file.

Drawing & Disbursing Officer

Bill No GPF/2005-06/Cash –I

**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISH BHAWAN :: NEW DELHI – 110 001.**

F. No. -Cash I

Dated the April, 2005

BILL

Sanction of Competent Authority is hereby conveyed under GPF Rule 12 (1)A for the grant of GPF advance of Rs. /- (Rupees only) to Smt. , ICAR from her G.P. F. account No. /Hq. to enable her to meet the expenses in connection with the -----.

A sum of Rs. /- (Rs. only) out of advance. /- sanctioned to her during the month of ---- has not been recovered as on date. This amount together with the advance now sanctioned aggregating Rs. /- (Rupees only) will be recovered in 36 instalments of Rs. /- each. The first installment will be recovered from her pay for the month of May, 2005.

A sum of Rs.10,100 (Rupees ten thousand and one hundred only) may now be drawn and paid to Smt. , ICAR.

**Section Officer
Cash I Section, ICAR**

Passed for Rs. Rs.10,100 (Rupees ten thousand and one hundred only)

Drawing & Disbursing Officer